न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 2/2016 (2016/00003)

वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. विनोद कुमार पुत्र रेवत मल जैन जाति जैन निवासी पडियारा तहसील सुजानगढ जिला चुरू।
2. विनोद कुमार पुत्र ताराचंद जाति जैन निवासी एम.सी. हाउसन 93 जैन कॉलोनी गोलधाम रोड़ डिमापुर (नागालैण्ड) जरिए मुखत्यार बंशीलाल पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी भांवता तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नाथी देवी पत्नी रामूराम जाति कुमावत निवासी श्रीनगर।
2. फुलकी देवी पत्नी पुसाराम जाति कुमावत निवासी सिन्धपुर।
3. उमा पत्नी गंगाराम जाति कुमावत निवासी सिन्धपुर।
4. चंद्रसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर (फौत) के कायम मुकाम
   4/1 भंवर सिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
   4/2 गिरधारी सिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
   4/3 कानसिंह पुत्र उगराज सिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
   4/4 शिवराज सिंह पुत्र उगराज सिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
   4/5 भंवर कंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
   4/6 दुर्गा कंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
   4/7 गठु कंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
5. प्रहलादसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर (फौत) के कायम मुकाम
   5/1 विनोद कंवर पुत्री प्रहलादसिह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
   5/2 संतोष कंवर पुत्री प्रहलादसिह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
   5/3 राज कंवर पुत्री प्रहलादसिह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
6. श्रवणसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी सीतापुर।
7. सुजाराम पुत्र लादुराम जाति कुम्हार निवासी सीतापुर।
8. गोरधन पुत्र लादुराम जाति कुम्हार निवासी सीतापुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

वाद बाबत इस्तकरार हक व भू विभाजन

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. का. अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनॉकः– 16/07/2018

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय उपस्थित, बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है। निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री सादिर फरमाई जावें।

पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 19.06.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम (मौका रिपोर्ट) मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक भू.अ./1546 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाई, शामिल मिसल है। वकुलाय उपस्थित, पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2018 एवं संलग्न मौका बंटवारा स्कीम का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक रिपोर्ट बंटवारा स्कीम निर्णय दिनांक 19.06.2018 के अनुसार ही प्राप्त होने से वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम सीतापुर तहसील कुचामनसिटी कि सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 824 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 825 रकबा 1.76 है0 कुल रकबा 2.63 है0 में से 1.76 है0 बहिस्सा बराबर वादीगण को एवं खसरा नं0 824 रकबा 0.87 है0 में से 0.74 है0 का प्रतिवादी सं0 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। बंटवारा स्टाम्प ड्युटी प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 16/07/2018 को टंकण कराकर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरत किया गया

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)